

FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम- 26)

अज अदालत .....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), .....सिवाना .....

प्रार्थी सुजानसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी रानीदेशीपुरा तहसील समदड़ी	बनाम विप्रार्थीगण 1. अशोकसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी रानीदेशीपुरा तहसील समदड़ी वगैरा (16) 17 शाखा प्रबंधक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा समदड़ी 18 शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा समदड़ी 19 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार समदड़ी
---	---

किस्म मुकदमा.....धारा 212 RTA

मु0नं0....46 / 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10.04.2023	प्रार्थी सुजानसिंह की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री नरपतसिंह भाटी द्वारा विप्रार्थीगण अशोकसिंह वगैरा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 212 RT Act. के तहत प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 12.05.2023 को पेश हो।  (दिनेश विश्वासी) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना	
12.05.23	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय प्रशासन गांवो के संग अभियान के कर्मों में मुहताज से बाहर है। अतः इंतवा होकर पत्रावली दिनांक 14-08-23 को पेश हो।  Pravinil.	
14.08.23	पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यरते है। इंतवा होकर पत्रावली दिनांक 09-10-23 को पेश हो।  2023	
09.10.23	पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यरते है। इंतवा होकर पत्रावली दिनांक 11.01.24 को पेश हो।  24	
11-01-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। ग्रैंडि मूल वाद जरिये 'नोट. पेस' खारिज हो चुका है। अतः आवेदन की कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। लिखित आवेदन की कार्यवाही इनी स्ट्र पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फंसल अकार बंद मूल वाद के खाल में है।	

सहायक कलक्टर  
(S.D.O) सिवाना